

## “प्ररूप 26”

(नियम 4क देखिए)



निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) ३५-लागू (३८-६८) (सदन का नाम) के  
लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

### भाग-क

मैं, मिशन इंडिया \*\*पुत्र/पुत्री/पत्नी स्वयं वाक्य रपाय  
पासवान आयु १० वर्ष, जो राजनीतिक दल, वो + भाजा + दल  
भाजा दल द्वारा

(डाक का पूरा  
पता लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं  
शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं :-

(1) मैंने राजनीतिक दल आके इंडिया राजनीतिक दल (\*\*) राजनीतिक दल का नाम) द्वारा  
खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(\*\*)जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

(2) मेरा नाम ३०-शाहरामीन बिहारी (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं० ०३  
क्रम सं० ४१ पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं ९८८३०८५८८६५ है/है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)  
है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्योरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिधिति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1.	स्वयं	BUHPRK7670M	२५०८	२५०८
2.	पति या पत्नी	२५०८	२५०८	२५०८
3.	आधिक-1	२५०८	२५०८	२५०८
4.	आधिक-2	२५०८	२५०८	२५०८
5.	आधिक-3	२५०८	२५०८	२५०८

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	क्र० ३१ ग्राम नं० ४७८०४३/१२, छत्तीसगढ़
(ख)	संबंधित अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	क्र० ३०५ डॉ०५
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	जीनलीला, २०८० २२.०१.२०१५
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई	जीनलीला, २०८०
(ङ)	तरीख(तारीखों) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	२२.०१.२०१५
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है	१८/—



निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है  
(पर्युक्त/नदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न)

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	क्र० ३०८० १०७०/१२ २०८० २१२९/१३
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	क्र० ३०८० १०७०/१२ २०८० २१२९/१३
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीकाश के लिए फाइल की गई अपील(अपीलों)/आवेदन(आवेदनों)(यदि कोई हो) के ब्यौरे	१८/—

(6) मुझे किसी अपराध(अपराधों)(लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा ४ की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट या उपधारा(3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा। :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेष दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए रिद्धदोष ठहराया गया है।	25-21-
(ख)	न्यायालय(न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेष(आदेशों) की तारीख(तारीखें)	25-21-
(ग)	अधिरोपित दंड	25-21-
(घ)	व्या सिद्धदोष ठहराने के आदेष के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान परिस्थिति	25-21-

(7) मैं मेरे, नेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियाँ(जंगन और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगन आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणी 1—संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्पित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी 2—जमा/विनिधान की दधा में क्रम सं, रकम जमा की तारीख, स्कॉम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पणी 3—सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/ऐयर डिवेचरों का मूल्य स्टॉक एवं सेंचर्जों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दधा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पणी 4—यहां आश्रित का यही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण(5) में है।

टिप्पणी 5—रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।



क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	१०,०००/-	२६१-	२५-२१-	२५-२१-	२५-२१-
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे(नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	इकुण्ड इकुण्डी अठ गांग ३३४४९१७५७ ३५ १०००/१००				
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेचरों/ऐयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	२५-२१-	२५-२१-	२५-२१-	२५-२१-	२५-२१-
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा यात्रियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	२५-२१-	२५-२१-	२५-२१-	२५-२१-	२५-२१-

(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	25-21	25-21	25-21	25-21	25-21
(vi)	मोटरव्हाइकल/बायुव्हाइक/घाट/पोत (एक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	25-21	25-21	25-21	25-21	25-21
(vii)	जेवासत, बुलियान और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ)(भार और मूल्य के व्यौरे)	25-21	25-21	25-21	25-21	25-21
(viii)	कोई अन्य आस्तियाँ जैसे कि दावों/हित का मूल्य	25-21	25-21	25-21	25-21	25-21
(ix)	समग्र कुल मूल्य	25-21	25-21	25-21	25-21	25-21

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पणी 1—संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी 2—प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आधिक-1	आधिक-2	आधिक-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	26-21 835.91/40 100, 135 हेक्टर	25-21	25-21	25-21	25-21
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	25-21	25-21	25-21	25-21	25-21
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हाँ या नहीं)	हाँ	25-21	25-21	25-21	25-21
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	25-21	25-21	25-21	25-21	25-21
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	25-21	25-21	25-21	25-21	25-21
	विकास, संगीर्वाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	25-21	25-21	25-21	25-21	25-21
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	25-21	25-21	25-21	25-21	25-21
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	25-21	25-21	25-21	25-21	25-21
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हाँ या नहीं)	25-21	25-21	25-21	25-21	25-21
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	25-21	25-21	25-21	25-21	25-21
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	25-21	25-21	25-21	25-21	25-21
	विकास, संगीर्वाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	25-21	25-21	25-21	25-21	25-21
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	25-21	25-21	25-21	25-21	25-21



.....

(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	२३-१	२५-८	२३-८	२३-१	२५-८
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२५-१	२३-१	२५-१	२३-१	२३-१
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२६-०८	२५-८	२५-१	२३-०८	२५-१
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	२५-१	२५-१	२५-८	२५-१	२५-१
	स्वार्जित संपत्ति की दधा में क्रय की तारीख	२५-१	२५-१	२५-८	२५-१	२५-१
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दधा में)	२५-८	२५-१	२५-८	२५-१	२५-८
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनियान	२३-१	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१
	स्वार्जित संपत्ति की दधा में क्रय की तारीख	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दधा में)	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनियान	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१
(vi)	पूर्वांकत (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१

(8) में, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यापिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१
	पूर्वांकित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यापिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१
	कोई अन्य दायित्व	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१	२५-१



*Makar*

दायित्वों का कुल योग		25-25	25-25	25-25	25-25	25-25
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	25-25	25-25	25-25	25-25	25-25
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	1384	25-25	25-25	25-25	25-25
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	25-25	25-25	25-25	25-25	25-25
	टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	25-25	25-25	25-25	25-25	25-25
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	25-25	25-25	25-25	25-25	25-25
	आय-कर शोध्य	25-25	25-25	25-25	25-25	25-25
	धनकर शोध्य	25-25	25-25	25-25	25-25	25-25
	सेवाकर शोध्य	25-25	25-25	25-25	25-25	25-25
	नगरपालिका / संपर्ति कर शोध्य	25-25	25-25	25-25	25-25	25-25
	विक्रयकर शोध्य	25-25	25-25	25-25	25-25	25-25
(iii)	कोई अन्य शोध्य	25-25	25-25	25-25	25-25	25-25
	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	1384	25-25	25-25	25-25	25-25
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्विलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	25-25	25-25	25-25	25-25	25-25

19 अति या उपजीविका के बारे :

(क) स्वयं ६८०५४

(ख) पति या पत्नी.....

(10) मेरी शैक्षणिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रस्तुत करते हुए उच्चतम विद्यालयों/विष्वविद्यालय  
विकास के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विष्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा  
किया गया था, का ब्यौरा दे)

માય-ખ

(11) भाग—क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरे का उद्घारण

1	अध्यार्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कृष्ण लिला युवाच-
2	लाक का पता	कालिया (परिवार), देवदेव, वृंदावन- सरोवर, ५०६१, ४१२२१।
3	निवासन सेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	३४-वार्ष (१५-वटा), १३० ग्राम-२०७८, उत्तरा-

4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अन्यथी को खड़ा किया है(अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	कम्पनी का नाम प्राप्ति का दिन (मिति)				
5	(i) ऐसे लंबित मानलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	८५				
	(ii) ऐसे मानलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय(न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर गद (i) उल्लिखित मानलों से भिन्न)	८५				
6	ऐसे कुल मानलों की संख्या जिनमें सिव्हिडोष उहसाया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा(2) या उपधारा(3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	८५				
7	..... का स्थायी लेखा सं०	यह वर्ष जिसके लिए अतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है				
	(क) अम्यथी	२५.३१				
	(ख) पति या पत्नी	२५.३१				
	(ग) आश्रित	२५.३१				
8	आस्तियाँ और दायित्वों के ब्यारे (लपये में)	२५.३१				
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(क)	जगंग आस्तियाँ (कुल मूल्य)	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न छिन्हों अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१
ख	स्थावर आस्तियाँ	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१
	i स्वअर्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१
	ii क्रय के पश्चात स्थावर संपति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१
	iii निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१
	क) स्वअर्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१
	ख) विरसती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१
9	दायित्व	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	२५.३१				
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१	२५.३१
11	उच्चतम शैक्षणिक अहंता : ४७१५५३३ दि/१५/१५२-२००३ (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्रलप का उल्लंघन करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यारे में।)	८५	८५	८५	८५	८५



प्राप्ति

## सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विष्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्पर्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(१) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद ५ और ६ में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले जी मिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला नहीं है।

(२) मेरे बति या पल्ली या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद ७ और ८ तथा भाग ख की मद ९, १० और ११ में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से मिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

दिनांक 19.03.2014 को सत्यापित किया गया।

I know and solemnly affirm of all  
of present he put his signature  
in my presence.  
Mahendra Poddar Singh ✓ 19/03/2014  
अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिष्टर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समझ या किसी नोटरी पब्लिक के समझ शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "छून्ह" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपात्रयरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को "वै संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'छून्ह' या 'लागू नहीं' या 'झात नहीं' जो उपयुक्त हो ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा ३ में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाव सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं 94301178564

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है.....

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट (अगर कोई हो) है.....